झारखण्ड सरकार

## नगर विकास एवं आवास विभाग

**दिनांक 31 मई, 2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में अमृत योजना अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की सप्तम बैठक की कार्यवाही।**

---

**उपस्थिति– संलग्न।**

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग–सह–अध्यक्ष, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा उपस्थित सदस्यों को सूचित किया गया कि अमृत योजना अंतर्गत आच्छादित 7 शहरों यथा– राँची, धनबाद, चास, हजारीबाग, आदित्यपुर, देवघर एवं गिरिडीह हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु DPR तैयार किया जा रहा है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक आहूत की जाती है।

SLTC की बैठक में निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु तैयार DPR पर चर्चा की गई :–

1. **देवघर सेप्टेज प्रबंधन परियोजना–**

देवघर सेप्टेज प्रबंधन परियोजना हेतु तैयार किए गए DPR को जुडको लि॰ एवं तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा परीक्षणोपरांत तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

DPR तैयार करने वाली संस्था M/s. TCE Ltd. के द्वारा उपस्थित सदस्यों को क्रमवार प्रस्तुतीकरण के माध्यम से देवघर सेप्टेज प्रबंधन परियोजना की जानकारी दी गई।

803 2/6/2017

वर्तमान में देवघर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 39451 घरों से 82 KLD सेप्टेज का उत्सर्जन होता है। वर्ष 2032 तक देवघर नगर निगम क्षेत्र में घरों की संख्या लगभग 48669 हो जाने की संभावना है, जिससे अनुमानतः 101 KLD सेप्टेज का उत्सर्जन होगा। इस आधार पर परियोजना हेतु 101 KLD क्षमता के Septage Treatment Plant (SeTP) का अधिष्ठापन प्रस्तावित किया गया है।

सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत घरों से उत्सर्जित होने वाले सेप्टेज को वैज्ञानिक विधि से Recycle कर पुनः उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणो में क्रियान्वित किया जा सकेगा :

1.1 **Collection :** इसके अंतर्गत घरों के सेप्टिक टैंक में जमा सेप्टेज को Vehicle mounted super sucker/ Vaccum machines के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा।

1.2 **Transportation :** घरों के सेप्टिक टैंक से संग्रह किये गए सेप्टेज को निर्धारित रास्ते से वाहन द्वारा SeTP तक पहुँचाया जायेगा।

1.3 **Treatment :** SeTP के अंतर्गत सेप्टेज को दो चरणों में MBBR (Moving Bed Bio Film Reactor) तकनीक से Treatment किया जायेगा। प्रथम चरण में Sludge treatment होगा एवं द्वितीय चरण में Supernatant का Treatment किया जायेगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सेप्टेज में मौजूद सभी हानिकारक तत्व अप्रभावी हो जायेंगे।

1.4 **Disposal :** Treated Waste Water को विभिन्न कार्यों यथा– बागवानी, वाहन धुलाई, निर्माण कार्य इत्यादि में पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा। Septage Treatment के उपरांत बचे हुए ठोस पदार्थ को Compost के रूप में कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित SeTP निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड देवघर नगर निगम के पास उपलब्ध है।

उक्त परियोजना हेतु तैयार किए गए DPR में निम्नलिखित अवयवों को प्रस्तावित किया गया है :–

- **SEPTAGE CLEARANCE AND COLLECTION** (Including Sewage Vaccum Truck and Appurtenance works)
- **SEPTAGE TREATMENT** (Including Construction of SeTP)
- **DISMANTLING AND REPAIR WORK** (Septic Tanks)
- **CONSTRUCTION, PROVIDING SERVICES AND DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE BLOCK** (including office, staff quarter, laboratory, etc.)
- **MISCELLANEOUS WORKS** (including Boundary Wall of premises, Shed for Sludge cake/Chemical Storage/Parking lot/MBBR package plant/centrifuge, Construction of DG and Transformer room, GPS Tracking System Expenses, etc.)

परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित राशि निम्नलिखित है :–

| | |
|---|---|
| Capital Expenditure (CAPEX) | 10.94 Crores |
| O&M Expenditure for 10 yrs. (OPEX) | 29.37 Crores |
| **Total** | **40.31 Crores** |

अमृत योजना के मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए अमृत योजना के State Annual Action Plan के अनुसार सभी परियोजनाओं के अधिष्ठापन हेतु लागत राशि (CAPEX) योजना अंतर्गत स्वीकृत मद से देय होगी तथा रख–रखाव की राशि (OPEX) हेतु राज्य योजना मद से प्रावधान किया जा सकेगा।

2. **धनबाद पार्क परियोजना –**

जुडको लि॰ के विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि धनबाद नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कतरास में पार्क निर्माण हेतु DPR तैयार किया गया है, जिसकी जाँच जुडको लि॰ एवं विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पार्क के निर्माण हेतु भूमि धनबाद नगर निगम के पास उपलब्ध है। पार्क निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि में से आधे भूमि का उपयोग Phase-I में किया जायेगा एवं शेष भूमि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017–18 में Phase-II के रूप में किया जायेगा। Phase-I के निर्माण हेतु DPR तैयार किया गया है, जिसमें सभी आयु वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुविधायें सन्निहित की गई है। उक्त DPR में पार्क के रख–रखाव, सुरक्षा, स्वच्छता एवं वाहन पड़ाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

निदेश दिया गया कि गार्ड रूम के साथ एक प्रशासनिक कक्ष का निर्माण, CCTV कैमरा, एक Fountain एवं Polyhouse का अधिष्ठापन करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही पानी की उपलब्धता की भी जाँच कर ली जाय।

3. **गिरिडीह पार्क परियोजना –**

जुडको लि॰ के विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि गिरिडीह नगर परिषद् क्षेत्रांतर्गत पार्क निर्माण हेतु DPR तैयार किया गया है, जिसकी जाँच जुडको लि॰ एवं विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु तैयार किए गए DPR में सभी आयु वर्ग की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुविधायें सन्निहित की गई है। साथ ही रख–रखाव के प्रावधान, सुरक्षा, स्वच्छता एवं वाहन पड़ाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

निदेश दिया गया कि गार्ड रूम के साथ एक प्रशासनिक कक्ष का निर्माण, CCTV कैमरा एवं Polyhouse का अधिष्ठापन करना सुनिश्चित किया जाय, साथ ही IT Enabled Ticketing System रखा जाय। पार्क का नामकरण स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने का सुझाव दिया गया।

4. समिति के सदस्यों द्वारा देवघर सेप्टेज प्रबंधन परियोजना हेतु तैयार किए गए DPR एवं इसमें उल्लेखित लागत राशि को सर्वसम्मति से स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई :–

| Sl. No. | Name of Project | CAPEX (in crores) | OPEX (in crores) | Total Project Cost (in crores) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deoghar Septage Project | 10.94 | 29.37 | **40.31** |
| **Total** | | **10.94** | **29.37** | **40.31** |

5. धनबाद एवं गिरिडीह में प्रस्तावित पार्क निर्माण योजनाओं हेतु दिए गए सुझावों के आलोक में पुनः प्राक्कलित राशि की जाँच करने का सुझाव दिया गया।

बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

2.6.17

( अरुण कुमार सिंह )
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/SLTC-62/2016......803 अनु.... राँची, दिनांक...2/6/2017

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/परिवहन आयुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री जे॰बी॰ रविंदर, उप सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लिमिटेड एवं बैठक में उपस्थिति सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.17

सरकार के प्रधान सचिव।